



खेती सी बातें

होली विशेषांक



वर्ष-16

अंक-4

मासिक पत्रिका

आर.एन.आई - 70296/98

5 अप्रैल 2013

वार्षिक शुल्क - 12 रुपये

राज्य सरकार ने कृषि के लिए खोला खजाना



मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में राज्य बजट 2013-14 प्रस्तुत करते हुए।

जयपुर, 6 मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में वर्ष 2013-14 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित घोषणाएँ की गईं—

जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 हजार डिगियों तथा 10 हजार फार्म पोम्डस के निर्माण हेतु 225 करोड़ रुपये का प्रावधान।

जो जिले राष्ट्रीय खाद्य मिशन के अंतर्गत थयनित नहीं हैं, उनके लिए किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान।

उर्वरकों की पर्याप्त एवं समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 1 लाख 50 हजार मैट्रिक टन डी.ए.पी., 50 हजार मैट्रिक टन मिश्रित उर्वरक एवं 50 हजार मैट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट का अग्रिम भण्डारण किया जायेगा।

कृषि सेवाओं के सुदृढीकरण की दृष्टि से 1500 कृषि पर्यवेक्षकों तथा 300 सहायक कृषि अधिकारियों के पदों का सृजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में उद्यानिकी से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से बुंदी, झुंझुनू, करौली एवं झुंगरपुर में सहायक निदेशक कार्यालय स्थापित किये जायेंगे।

कोटा, जोबनेर-जयपुर एवं जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय तथा भीलवाड़ा एवं भरतपुर में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। साथ ही, नागौर जिले की लाडनू तहसील में कृषि विषय में डिप्लोमा कोर्स संचालित करने हेतु शिक्षण संस्थान स्थापित किया जायेगा।

आगामी वर्ष "Rajasthan Organic

Commodity Board" की स्थापना करना प्रस्तावित है। यह बोर्ड जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रशिक्षण और विपणन का कार्य भी करेगा। इस बोर्ड की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जैविक उत्पादों को मान्यता प्रदान करने के लिए, राज्य में स्थित परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढीकरण पर 3 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

पूर्व में घोषित "राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना" का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में 10 जिलों के 20 क्लस्टर में 2 लाख हेक्टर क्षेत्र में 1 लाख 55 हजार कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के तहत 10 हजार कृषक समूहों का गठन किया जायेगा, ताकि कृषकों को उनके उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिल सके। इस परियोजना की लागत 832 करोड़ रुपये है।

सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकों के माध्यम से किसानों को बाजार भावों की जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जयपुर में Agri-Market Intelligence and Business Promotion Centre की स्थापना करने की घोषणा की गई। इस केन्द्र की स्थापना से किसान बाजार की स्थिति को देखकर फसल बेचने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे।

इसके अतिरिक्त राज्य में 2 मेगा शेष पृष्ठ 3...

बस्सी में अनार उत्कृष्टता केन्द्र का शिलान्यास

जयपुर, 7 मार्च। कृषि मंत्री हरजीराम बुरडक ने बस्सी के डिंडोल ग्राम में "इन्डो-इजरायल सहयोग कार्यक्रम" के तहत "अनार उत्कृष्टता केन्द्र" का शिलान्यास करते हुए कार्तकारों से इजरायल की खेती की अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने का आह्वान किया है।



श्री बुरडक ने कहा कि यहाँ के किसान भाग्यशाली हैं कि उनके क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का अनार उत्पादन केन्द्र शुरू किया जा रहा है।

इस अवसर पर इजरायल के नई दिल्ली में राजदूत श्री इलोन उसपिज ने कहा कि बस्सी में स्थापित अनार उत्कृष्टता केन्द्र में आधुनिक तकनीक से फल तैयार होंगे जो स्वाद, गुणवत्ता एवं उत्पादन में भी श्रेष्ठ होंगे। इससे क्षेत्र के किसानों की माली हालत में सुधार होगा।

इस अवसर पर कृषि मंत्री तथा इजरायल राजदूत ने वैदिक मन्त्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। समारोह में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। अन्त में निदेशक उद्यानिकी वेद सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

शेष पृष्ठ 2...

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान में नवनिर्मित "अकादमिक भवन" का लोकार्पण

जयपुर, 19 मार्च। राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर के परिसर में कृषि मंत्री हरजीराम बुरडक ने नवनिर्मित "अकादमिक भवन" का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में

श्री बुरडक ने कहा कि विभागीय कार्मिकों/ अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। इस संस्थान के सुदृढीकरण व आधुनिकीकरण का कार्य राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ पर विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिया जा सकेगा जिससे वह किसानों को लाभान्वित कर सकेंगे, अन्ततः किसान के खेत में उत्पादन बढ़ेगा एवं उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री विनोद कुमार, प्रमुख शासन सचिव डी.बी.गुप्ता, आयुक्त कृषि अनिल गुप्ता सहित कृषि, उद्यान, बीज निगम के अधिकारी, कृषि अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के अधिकारीगण उपस्थित थे।



उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत 32.88 करोड़ रुपये में निर्मित आकर्षक एवं बहुपयोगी "अकादमिक भवन" का उपयोग कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों/ किसानों के प्रशिक्षण एवं नवीन तकनीक के प्रचार-प्रसार में होगा।

E-mail : kheti_rl_betan@yahoo.co.in

www.krishil.rajasthan.gov.in

▶ अप्रैल माह के कृषि कार्य
▶ परख

पृष्ठ 2

▶ कैसे करें : रबी फसलों की कटाई और घेसिंग
▶ गर्मी की जुताई

पृष्ठ 3

▶ अनाज एवं बीज का सुरक्षित भण्डारण

पृष्ठ 4

अप्रैल माह के कृषि कार्य

फसलोत्पादन

- समय से बोई गई गोहूँ की फसल की कटाई-मंडाई का प्रबन्ध कर लें अन्यथा कभी-कभी वर्षा या ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है।
- जौ, चना, मटर, सरसों व मसूर आदि की कटाई व मंडाई पूरी कर लें।



- किसान अपने खेतों से मिट्टी व पानी के नमूने लेकर मिट्टी पानी की जांच करावें।

सब्जियाँ

- करेला, तुरई, टिण्डा, ककड़ी व खरबूजा में फल मक्खी के प्रकोप से फल काणों हो जाते हैं। फल मक्खी के नियंत्रण हेतु काणों फलों को तोड़कर भूमि में गहरा गाड़कर नष्ट कर दें तथा कीटनाशी दवा मैलाथियान 50 ई.सी. या डाइमिथोएट 30 ई.सी. का एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
- तरबूज व खरबूजा के फलों की तुड़ाई फलों के पकने पर करें। फल के पास के डण्ठल के सुखना, बजाने पर डल आवाज आना, बेली के रंग में परिवर्तन होना, फलों के पकने का



- संकेत है। पानी देने के तुरन्त बाद 12-24 घंटे तक फल न तोड़ें।
- जायद मिण्डी की फसल में पित-शिरा मोजैक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के प्रकोप से पत्तियाँ और फल पीले पड़ जाते हैं। पत्तियाँ चितकबरी होकर प्यालेनुमा शकल की हो जाती हैं। इस रोग का प्रसार "सफेद मक्खी" नामक कीट से होता है। अतः इसके नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले तथा फूल आने के बाद मैलाथियान 50 ई.सी. दवा का एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।
- ग्रीष्मकालीन सब्जियों में विषाणु रोग के प्रकोप के लक्षण जैसे ऐंठन, मुरझाना, रोगग्रसित फलों एवं पत्तों का आकार बेडोल होना इत्यादि दिखाई देने पर रोग के प्रसार को रोकने के लिए मैलाथियान 50 ई.सी. दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें।

पुष्पोत्पादन

- गुलाब में आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं गुड़ाई करें तथा सूखी एवं रोगग्रस्त टहनियों को तोड़ दें।
- ग्लैडियोलस के कन्दों की खुदाई से 15 दिन पहले सिंचाई बन्द कर दें

और स्पाईक काटने के 40 दिन बाद घनकन्दों (कोर्म) की खुदाई करें। कोर्म को 0.2 प्रतिशत मैकोजेब पाउडर से शुष्क विधि से उपचारित



कर शीतगृह में भण्डारण कर दें अन्यथा कन्द सड़ जायेंगे।

पशुपालन व वृद्ध उत्पादन

- पशुओं को तेज धूप से बचावें तथा धूप में नहीं नहलायें।
- पशुओं के लिए बदलते हुए मौसम के अनुसार सुपाच्य तथा पौष्टिक चारे की व्यवस्था करें।



- गायों में समय से कृत्रिम गर्भाधान संपादित करवायें।

चारा फसलें

- गर्मी में चारे के लिए मक्का, लोबिया व बहु-कटाई वाली चरी की बुवाई अभी भी की जा सकती है।
- मक्का व लोबिया मिलाकर बोनो से

अच्छी गुणवत्ता का चारा प्राप्त होता है।



- बहु-कटाई वाली चरी में बुवाई के एक माह बाद प्रति हैक्टर 30 किग्रा नत्रजन (65 किग्रा. यूरिया) दें तथा इतनी ही मात्रा पहली कटाई पर भी दें। फिर प्रत्येक कटाई के बाद 20 किग्रा नत्रजन (44 किग्रा यूरिया) की टॉप-ड्रेसिंग करते रहें।

परख

मार्च, 2013 के अंक में प्रकाशित आलेख में सही उत्तर भेजने वाले लॉटरी द्वारा चुने गये दो विजेता कृषकों के नाम हैं-

- श्री घीसा लाल पुत्र श्री सुवालाल ग्रा.-चारणवास, पो.-चैनपुरा वाया-नरेना, तह.-फूलेरा जिला-जयपुर, पिन नं. - 303348
- श्री कजोड़ी राम, पुत्र श्री छोटे लाल ग्रा./पो.-बड़ौदा मेव, तह. लक्ष्मणगढ़ जिला-अलवर, पिन नं. - 301021

इस माह के प्रश्न हैं -

- प्र.1 गर्मी की जुताई करने का उपयुक्त समय बतायें ?
 - प्र.2 वर्ष 2013-14 में राज्य में कितने सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ?
- तो आप भी उठाइये पैन व पोस्ट कार्ड और हमें लिख भेजिये इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब इस पते पर -
उप निदेशक, कृषि (सूचना),
118, पंत कृषि भवन, जयपुर - 302005

पृष्ठ 1 का शेष ... (वर्ष 2013-14 के लिए..)

जिले के किशनगंज एवं शाहाबाद तहसील के सहरिया जनजाति के कृषकों को मक्का संकर किस्मों के बीज (5 किलोग्राम प्रत्येक कृषक) निःशुल्क वितरित कर लगभग 8 लाख कृषकों को लाभान्वित करने तथा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में "संकर मक्का बीज उत्पादन कार्यक्रम बीज ग्राम योजना" के तहत वर्ष 2013-14 में लगभग 20 हजार क्विंटल संकर मक्का बीज का उत्पादन करने की घोषणा की।

उन्होंने वर्ष 2013-14 में "पोषण सुरक्षा के लिए सघन कदन्न संवर्धन योजना" (इन्सिम्य) के तहत चयनित 12 जिलों में लगभग 10 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को खरीफ- 2013 में संकर बाजरा बीज मिनिक्विट का वितरण करने की भी घोषणा की।

कृषि मंत्री ने बताया कि "त्वरित चारा विकास कार्यक्रम" के तहत वर्ष 2013-14 में अनुमानित 9 लाख कृषकों को कम लागत के कृषि यंत्र एवं चारा बीज मिनिक्विट उपलब्ध कराये जायेंगे।

श्री बुरड़क ने बताया कि वर्ष 2013-14 में

फसलों में सिंचाई हेतु वर्षा जल संग्रहण एवं जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 हजार डिगिंगों तथा 10 हजार फार्म पोण्ड्स का निर्माण किया जायेगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2011-12 से "जयपुर जिले में सब्जी उत्पादन योजना" शुरु की गई है। इस योजना में 10 हजार कृषकों की उत्पादक कंपनियाँ बनायी जा रही हैं। इस उप-योजना में वर्ष 2012-13 से सीकर व अलवर जिलों को भी सम्मिलित किया गया है तथा प्रत्येक वैन्डिंग कार्ट की कीमत लगभग 50 हजार रुपये है, जिसमें 15 हजार रुपये का अनुदान है।

श्री बुरड़क ने बताया कि खजूर के उच्च

अलसिगढ़, गिर्वा (उदयपुर) क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक श्री सुरेश चन्द्र जैन को वित्तीय वर्ष 2012-13 में "खेती री बाता" अखबार के सर्वाधिक कृषक सदस्य (1064) बनाने हेतु खेती री बाता परिवार की ओर से हार्दिक बधाई।

गुणवत्तायुक्त पौधे तैयार करने के लिए निजी जन सहभागिता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मानकों आधारित "विश्वस्तरीय खजूर उक्तक संवर्धन प्रयोगशाला" (टिशूकल्चर लैब) जोधपुर में स्थापित की गई है। इसके लिए अब तक 1421.32 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। प्रयोगशाला में 2.50 लाख तक खजूर के पौधे प्रतिवर्ष उत्पादित किये जा सकेंगे। प्रयोगशाला में खजूर पौध उत्पादन कार्य शुरु हो चुका है। वर्ष 2013-14 में कृषकों को 300 हैक्टर क्षेत्र के लिए अनुदानित दर पर खजूर के पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।

श्री बुरड़क ने बताया कि फल-सब्जी उत्पाद के बाजार तक सुरक्षित परिवहन के लिए वर्ष 2013-14 में भी 10 रेफ्रीजरेटेड वैन अनुदान पर उपलब्ध करवाई जायेंगी तथा प्रत्येक वैन की कीमत

लगभग 11.50 लाख रुपये है और उसमें 40 प्रतिशत का अनुदान होगा।

उन्होंने बताया कि हाड़ौती क्षेत्र में बकरी-पालन को बढ़ावा देने के लिए "वृषभ पालन केन्द्र", डग (झालावाड़) पर सिरोही नस्ल के बकरे संधारित कर अनुदानित दर पर बकरी पालकों को बकरियों में नस्ल सुधार के लिए वितरित किए जाएंगे तथा शूकर फार्म का सुदृढीकरण एवं प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई जायेंगी।

किसान कॉल सेन्टर

रॉल प्री नम्बर

18001801551

पर अपने मोबाइल या लैण्डलाइन फोन से बात करें।



खेती-बाड़ी से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान, नवीन तकनीकी जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी मुफ्त में विशेषज्ञों से प्राप्त करें।

बात करने का समय-
सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक

कैसे करें : रबी फसलों की कटाई और थ्रेसिंग

फसलों की सही अवस्था, सही समय एवं कटाई का सही तरीका नहीं अपनाने एवं ठीक ढंग से थ्रेसिंग नहीं करने के कारण फसलों में कटाई एवं कटाई के बाद 10-12 प्रतिशत की क्षति होती है तथा उत्पाद की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

फसलों को कटाई और थ्रेसिंग के दौरान सुरक्षित रखने के उपाय :

1. कर्षण क्रियाएं :- फसलों की वृद्धि व विकास के समय की जाने वाली कर्षण क्रियाओं व कीट - व्याधि के प्रकोप से इनकी कटाई के पश्चात भण्डारण शक्ति व गुणवत्ता प्रभावित होती है अतः फसलों में बढ़वार के समय निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए :

► फसलों की नियमित सिंचाई करें, अनियमित सिंचाई, कम सिंचाई, अधिक सिंचाई करने से फसलों का पकाव व कटाई प्रभावित होती है। इससे कटाई पश्चात नुकसान की दर बढ़ जाती है। पकाव के समय अधिक भारी सिंचाई नहीं करें।

► फसलों में मिट्टी परीक्षण उपरान्त संतुलित एवं सिफारिश अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। अधिक मात्रा में नत्रजन (यूरिया) का प्रयोग नहीं करें इससे फसलें आड़ी गिर जाती हैं।

► समय-समय पर कीट-व्याधियों की रोकथाम का उपाय करें। रोग प्रसित पौधों, खरपतवारों को उखाड़ दें।

2. कटाई की अवस्था तथा नमी: विभिन्न फसलों में कटाई की अवस्था तथा दानों



में नमी की जाँच करके फसल की कटाई करनी चाहिए। शीघ्र कटाई करने पर दाने छोटे रह जाते हैं तथा आकार व गुणवत्ता प्रभावित होती है, देरी से कटाई करने पर दाने झड़ जाते हैं। अतः फसलों को उचित अवस्था में काट लेना चाहिए।

3. कटाई उपकरण का उपयोग : फसल कटाई के लिए हंसिया, स्वचालित कटाई यंत्र रीपर तिलहन एवं अनाजों की कटाई के लिए उपयुक्त है। खड़ी फसल वाहक कटाई यंत्र (वी.सी.आर.) ट्रैक्टर के आगे लगाने वाला यंत्र है जिससे धान एवं गेहूँ की कटाई की जाती है। इसके अलावा स्वचालित कटाई यंत्र मूवर के उपयोग में निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए :

► क्षतिग्रस्त नाइफ को बदल दें।

► क्षतिग्रस्त गार्ड को बदल दें। पिटमेन आर्म एवं कटर बार एक लाइन में होने चाहिए।

► नाइफ क्लिफ एवं वीयरिंग प्लेट को आवश्यकतानुसार बदलते रहें।

► नाइफ को तेज धार वाला बनाने के

लिए कोनिकल ग्राइन्डिंग स्टोन का प्रयोग करें।

► मूवर को छाँया में रखें कटरबार को जमीन से ऊपर की स्थिति में रखें। जमीन से फसल की निश्चित ऊँचाई 5-7 सेमी छोड़कर कटाई करें।

4. थ्रेसिंग उपकरण का उपयोग : फसलों की बालियों से बीजों को मुक्त करना गहाई का कार्य कहलाता है। आजकल बहुफसलीय थ्रेसिंग यंत्रों का उपयोग किया जाता है। यह गेहूँ, धान, चना, कुसुम आदि फसलों की थ्रेसिंग के लिए उपयुक्त है।

थ्रेसर के उपयोग में निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए :

► अच्छी गुणवत्ता तथा आई.एस. आई मार्का की थ्रेसर का उपयोग करें।

► समय - समय पर थ्रेसिंग का कैलिब्रेशन एवं सर्विस करवाते रहें।

► बियरिंग एवं पुली इत्यादि यंत्र ठीक से ढके होने चाहिए।

► बेल्ट में उचित तनाव होना चाहिए।

► थ्रेसर में त्रुटि रहित परिणाम प्राप्त करने के लिए उचित एडजस्टमेंट होना चाहिए।

► थ्रेसर पर कार्य करते समय झीले कपड़े, हाथ घड़ी, चूड़ियाँ आदि नहीं पहनें।

► फसल में नमी की उचित मात्रा रखें।

► फीडिंग नाली में फसल डालते समय उचित दूरी एवं पर्याप्त मात्रा में फीडिंग करें। फीडिंग नाली कम से कम 90



सेन्टीमीटर लम्बी एवं 45 सेन्टीमीटर ढकी होनी चाहिए।

► थ्रेसिंग सिलेण्डर फसल के अनुसार उचित दर से घूमना चाहिए। गेहूँ के लिए 550-1150, जौ 740-1080, चना 400-750, मटर 430-750 घूर्णन गति (चक्कर प्रति मिनट) होनी चाहिए। उचित घूर्णन दर के लिए पुलियों का संयोजन करें।

► थ्रेसर सिलेण्डर एवं कोनकेव के बीच में दूरी को व्यवस्थित करें। अधिक दूरी रखने से फसल के दाने बालियों से अलग नहीं होंगे एवं कम दूरी रखने पर दाने टूटने लगेंगे। सामान्यतया उक्त दूरी 4 मिमी से 8 मिमी रखी जाती है।

► छलनी का ढाल एवं प्रकार का चयन फसल के अनुसार करें।

फसलों की कटाई एवं थ्रेसिंग के उपरान्त छाँया में सुखाकर फसलों की पैकिंग कर भण्डारण करें। भण्डारण करते समय भण्डारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा एवं भण्डारण के दौरान लगने वाले कीड़ों से रक्षा के लिए सिफारिश अनुसार उपचार करें।

गर्मी की जुताई एक : फायदे अनेक

किसान खेत की जुताई का काम अक्सर बुवाई के समय करते हैं। फसलों में लगने वाले कीट-व्याधियों की रोकथाम की दृष्टि से बुवाई के समय की गई जुताई



से ज्यादा लाभ गर्मी में गहरी जुताई करके ग्रीष्म ऋतु में खेतों को खाली छोड़ दिये जाने से मिलता है। गर्मीयों में गहरी जुताई करने से भूमि का तापमान बढ़ जाता है जिससे खरीफ के मौसम में धान, बाजरा, दलहन और सब्जियों में लगने वाले कीटों-बिमारियों से एक सीमा तक छुटकारा पाया जा सकता है।

गर्मी की जुताई के लाभ

► गर्मी की जुताई से सूर्य की तेज किरणें भूमि के अन्दर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे भूमिगत कीड़ों के अण्डे, शंकु, लट्टे व वयस्क नष्ट हो जाते हैं।

► फसलों में लगने वाले उखटा, जड़ गलन आदि रोगों के रोगाणु व सब्जियों

की जड़ों में गांठ बनाने वाले सूत्रकृमी भी नष्ट हो जाते हैं।

► खेत की मिट्टी में ढेले बन जाने से वर्षा जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। जिससे खेतों में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है।

► गहरी जुताई से दूब, कांस, मौथा, वायासूरी आदि जटिल खरपतवारों से भी मुक्ति पाई जा सकती है।

► गर्मी की जुताई से गोबर की खाद व खेत में उपलब्ध अन्य कार्बनिक पदार्थ भूमि में भली-भाँति मिल जाते हैं, जिससे पोषक तत्व शीघ्र ही फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं।

► ग्रीष्मकालीन जुताई से पानी द्वारा भूमि कटाव में भारी कमी होती है।

गर्मी की जुताई के नुक

गर्मी की जुताई यथासंभव फसल कटते ही आरम्भ कर देनी चाहिए क्योंकि फसल कटने के बाद मिट्टी में थोड़ी नमी रहने से जुताई में आसानी रहती है।

गर्मी की जुताई के नुक

गर्मी की जुताई 15 से.मी. गहराई तक किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। यदि खेत का ढलान पूर्व से पश्चिम की तरफ हो तो जुताई उत्तर से दक्षिण की ओर यानि ढलान को

काटते हुए करनी चाहिए, जिससे वर्षा का पानी व मिट्टी न बह पाये। ट्रैक्टर से चलने वाले तवेदार मोल्ड बोर्ड हल भी गर्मी की जुताई के लिए उपयुक्त है। गर्मी की जुताई करते समय निम्न सावधानियाँ रखें

गर्मी में जुताई करने के लिए निम्न सावधानियाँ रखें

► मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले रहे तथा मिट्टी भुरभुरी न हो पाये, क्योंकि गर्मी में हवा द्वारा मिट्टी के कटाव की समस्या हो जाती है।

► ज्यादा रेतिले इलाकों में गर्मी की जुताई न करें।

पृष्ठ 1 का शेष... (राज्य सरकार...)

फूडपार्क बीकानेर एवं जोधपुर में स्थापित किये जायेंगे।

► ग्रीन हाऊस, पॉली हाऊस एवं नेट हाऊस के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

► कृषकों एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में फल एवं सब्जियों का विक्रय मंडी में करने की बाध्यता को समाप्त किया जायेगा।

► वर्ष 2013-14 में बूँद-बूँद सिंचाई संयंत्रों की स्थापना पर 90 प्रतिशत की दर से अनुदान देने हेतु 200 करोड़ रुपये

उपज की सही कीमत पारं



फसल को साफ सुधरे खनिहान में सुखावें, थ्रेसिंग कर ढाले साफ कर, सुखा कर तथा बोहियों में भरकर गण्डी में ले जावें।

तथा फर्टीगेशन आधारित ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करने हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त फव्वारा एवं बूँद-बूँद सिंचाई संयंत्रों में ऑटोमेशन तकनीक के प्रयोग हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

► कृषि क्षेत्र में गैर-पारंपरिक उर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य में 10 हजार सौर उर्जा आधारित पंप सेट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पंप सेट स्थापित करने के लिए किसानों को अनुदान देने हेतु 280 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

► चंबल की बीहड़ भूमियों को समतल कर भूमिहीन किसानों को आवंटित करने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। आगामी वर्ष इस योजना हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

ऐसे मंगवायें "खेती री बातां"

घर बैठे वर्षभर "खेती री बातां" अखबार मंगवाने के लिये अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें या आहरण वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, कमरा नं. 250, पंत कृषि भवन, जयपुर के नाम 12/-रूपये का मनीआर्डर भेजें। स्वयं का साफ-साफ डाक का पूरा पता, पिन कोड नम्बर व मोबाईल नम्बर अवश्य लिखें।

डाक पं. सं. RJ/JPC/M-16/2012-14
आर. एन. आई - 70296/98

प्रेषिति -



प्रेषक -
उप निदेशक कृषि (सूचना)
118, पंत कृषि भवन,
जयपुर - 302005

अनाज एवं बीज का सुरक्षित भण्डारण

अनाज भण्डारण

अनाज भण्डारण के सही तरीकों की उचित जानकारी के अभाव में लाखों टन अनाज की हानि होती है। सर्वेक्षणों के अनुसार भण्डारण में कीड़ों द्वारा 2.55 प्रतिशत, चूहों द्वारा 2.50 प्रतिशत एवं नमी से 0.88 प्रतिशत की हानि होती है।

भण्डारित अनाज का कीटों से बचाव
(अ) अनाज को साफ करना:-

- खलिहान साफ सुथरा हो एवं उसके पास घास-फूस, झाड़ियां आदि नहीं हों।
- अनाज को गोदाम/ घर में रखने से पहले अच्छी तरह साफ करें।



- अनाज में यदि कटे/टूटे हुए दाने हों तो उन्हें छानकर अलग करें।
- अनाज को गोदाम/घर में अच्छी तरह सुखाकर, ठण्डा करके रखें।

(ब) भण्डारण का उचित तरीका:-

- अनाज भरने वाली बोरियां/पात्रों को अच्छी तरह साफ कर धूप में सुखा लें।
- अनाज में किसी प्रकार की कीटनाशक औषधि नहीं मिलायें।
- कमरे/गोदाम में लकड़ी के पट्टे/पोलीथीन शीट पहले बिछायें, उसके ऊपर अनाज की भरी बोरियां रखें। बोरियों को गोदाम/कमरे की दीवारों से दूर रखें।
- कमरे/गोदाम के रोशनदान / खिड़कियों को बरसात में न खोलें। खुले मौसम व ठण्ड के दिनों में हवा दें।
- कमरे/गोदाम में खुला/बिखरा हुआ अनाज न छोड़ें।



- पुरानी बोरियों को काम में लेना हो तो उन्हें मैलाथियोन के घोल में (एक भाग

मैलाथियोन 50 ई.सी. तथा 500 भाग पानी) 10 मिनट तक डुबोकर कीट रहित करें। डुबाने के बाद उन्हें सुखाकर अनाज भरने के काम में लें।

- चूहों की रोकथाम के लिए जिंक फॉस्फाइड या ब्रोमोडियोलोन का उपयोग करें।

(स) निरोधक उपाय:- भण्डार में कीटों के प्रकोप को रोकने हेतु एक लीटर मैलाथियोन 50 ई.सी. को 100 लीटर पानी में घोलकर, 3 लीटर घोल प्रति 100 वर्गमीटर की दर से 15 दिन के अन्तराल पर गोदाम की दीवारों एवं फर्श पर छिड़काव करें।

(द) कीट लगने पर रासायनिक उपचार:- अनाज के भण्डारण के समय तथा बाद में कीट लगने पर एल्यूमीनियम फॉस्फाइड से प्रशिक्षित व्यक्ति की उपस्थिति में प्रधूमन (फ्यूमीगेशन) करें। यह दवा 12 ग्राम की गोली के रूप में हवा बंद पाउच



एवं 10 ग्राम चूर्ण के पाउच में आती है। इसका प्रयोग एक-दो गोली प्रति टन या 3 ग्राम चूर्ण प्रति टन खाद्यान्न की दर से किया जाता है। इस दवा से फ्यूमीगेशन करने के लिए पात्र को हवा बंद कर दवा की एक-एक गोली को किसी पुराने कपड़े के टुकड़ों में बांधकर अनाज के अन्दर व बाहरी सतह पर रख दिया जाता है एवं 7 दिन तक हवा बंद रखा जाता है। बाद में गोदाम/ कोठी खोलने पर कपड़े में बची दवा की राख को निकालकर फेंक देते हैं।

बीज भण्डारण

▶ **गेहूँ, जौ बीजों के लिए :-**
कीटनाशक का प्रयोग- डेल्टामेथिन 4 मिलीलीटर दवा को आधा लीटर पानी में मिलाकर प्रति क्विंटल बीज की दर से सीड ड्रेसर में मिलाकर एवं बीज को अच्छी तरह सुखाकर बोरियों में एक साल तक कीट रहित भण्डारण किया जा सकता है।

अखाद्य तेल का प्रयोग- नीम एवं पलास के तेल का पांच मिलीलीटर प्रति किलो

इश्वरसिंह कुशक
डी.डी. जयपुर

अशोक महलोते
ए.डी. जयपुर

विश्वं कुमार
डी.डी. जयपुर

राज्य सरकार की योजनाओं को अपनाया समृद्धि, खुशहाली और सम्मान पाया

डिग्नी

जल हीन

कमरे पीपल

राज्य सरकार ने गत 3 वर्षों में किसानों के श्रित के लिए उन्नत खेती, जल संरक्षण व कृषि महायत्ना उपलब्ध कराए।

राज्य में उपलब्ध जल के कुशलताम उपयोग हेतु 16460 फार्म पीपड, 12491 डिग्नीयों, 3975 जल हीन एवं 40826 कि.मी. सिंचाई पाइप लाइन्स पर कृषकों को राशि रुपये 445 करोड़ का अनुदान वितरण कर लाभान्वित किया। जिससे कृषि और कृषकों की समृद्धि और खुशहाली बढ़ी।

सफलता की कहानी

जयपुर जिले में नरायणा गांव के काननकार श्री सुरेश चौधरी कृषि में नवाचारों की अनोखी नज़ीर के तारक हैं। जिन्होंने खेती भूमि को कृषि की नवीन तकनीकी से मात्र 3 वर्षों में सफलता अर्जित की है। श्री चौधरी को कृषि विभाग द्वारा **आयता - वीरब्रह्मचर्य वर्ष 2011-12 में 25 हजार रुपये का तिलामन्त्रीय पुरस्कार व प्रशंसा पत्र** दिया गया।

उन्नत खेती-खुशहाल किसान-वही है समृद्ध कृषक की पहचान

विभाग/डी.डी. जयपुर में सफलता के लिए कृषि विभाग/उपलब्ध कृषि अधिकारियों को नि.सं. 12011/2011/2012 का सम्पर्क करें।

डी.डी. जयपुर, अनाज/उपलब्धता/उपलब्धता/डी.डी. जयपुर

कृषि की उन्नत तकनीकी अपनाओ बढ़ती दरसे

पहले

घरों से थोड़ी दूरी पर खेती भूमि जिसमें निरक्षरता वृद्ध एवं झाड़ियों का जंगल था।

आज

मात्र 3 वर्षों में उन्नत कृषि की नवीन तकनीक को अपनाकर सफलता अर्जित की।

बीज की दर से उपयोग कर गेहूँ के बीज को एक वर्ष तक घुन से सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे अंकुरण भी प्रभावित नहीं होता।

▶ **दलहन बीजों के लिए :-**
कीटनाशक का प्रयोग- थायरम (80 प्रतिशत डब्ल्यू.पी.) 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपयोग कर बीज को दोरा कीट से सुरक्षित रखा जा सकता है। खाद्य तेल का प्रयोग- चने के बीज को मूंगफली या सरसों के तेल से 10 मि.ली. प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर दोरा कीट के प्रकोप से सुरक्षित रखा जा सकता है।

▶ **बीज भण्डारण में सावधानियाँ (अन्य बीजों के लिए) :-**

1. खलिहान से बीज को अच्छी तरह से सफाई के बाद ही भण्डारण करना चाहिये।
2. नमी की मात्रा 8 से 9 प्रतिशत होनी चाहिये।
3. 40-50 डिग्री सेन्टीग्रेट तापमान पर काले पॉलीथीन के ऊपर बीजों को 8-10 घण्टे सुखाने पर भण्डारण कीटों का

प्रकोप नष्ट हो जाता है। उसके बाद बीजों को 700 गेज पॉलीथीन में सील करके रख देना चाहिये। इससे भण्डारण में कीटों का प्रकोप नहीं होता तथा अंकुरण क्षमता भी प्रभावित नहीं होती है।

4. भण्डार गृह में विण्डो ट्रेप व ग्रेन प्रोब का इस्तेमाल करके कीड़ों के आगमन का पता लगाकर उसका सही उपचार करना चाहिये।



स्वयंसेविका कृषि विभाग राजस्थान सरकार के लिये आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित।

प्रकाशक	- अनिल गुप्ता
सम्पादक	- भंवराम राम कठुवा
सह सम्पादक	- पुनम चौधरी
परामर्श	- शिवजी राम कटारिया
डिजाइनर	- आर. मैसी